न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 50 / 2020 (2020 / 00191)

1. गजानन्द पुत्र गोपाल माली
2. गणेश पुत्र गोपाल माली
3. लाडा पुत्री गोपाल माली
   निवासीगण नयांगांव मालियों का तहसील सावर जिला अजमेर राज.

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 23.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 मेहरूकंला में पेश हुई। प्रार्थीगण /अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम मालियो का नयांगाव तहसील सावर जिला अजमेर** की जमाबन्दी संवत **2071–74** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
44–44	1026	0.03	बीड
	1027	0.03	बीड
	1032	0.01	बीड
	1033	0.01	बीड
	1035	0.16	बारानी 1
	1207 / 1307	0.32	चाही 3

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थीगण ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थीगण ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी आज से चार–पांच महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 11 को अपनी खातेदारी की आराजीयात में बाड करने से मना किया तो नहीं माने व प्रार्थी से लडाई झगडा पर उतारू हो गये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात पर गया तब विवाद हुआ। इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित [redacted] होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके **ग्राम मालियो का नयांगाव तहसील सावर जिला अजमेर** की जमाबन्दी संवत **2071–74** के खाता स. 44–44 के खसरा नम्बर 1026, 1027, 1032, 1033, 1035, 1207 / 1307 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मजमे आम उपस्थिति मेहरुकलां में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner